

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप-संरक्षक
संध प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग, मोटी दमण.

सं.RFO / दमण / 10 / 2016-17/03


दिनांक :- 24 / 06 / 2016.

विषय :- वृक्ष काटने हेतु अनुमति.

वृक्ष काटने हेतु Shabana N. Dulla PoAH of Nasiruddin A. Dulla निवासी के वृक्ष कतरन संबन्धी आवेदनपत्र दिनांक : 26/05/2016 के संदभ में निम्नलिखित शर्तों एवं निबन्धनों के पालन करने के साथ सर्वे सं 355 of Varkund G.No. 2 (Varkund, Nani Daman) की जमीन पर निचे वर्णित विवरण के अनुसार वृक्ष कतरन की अनुमति के बारे में सूचित किया जाता है।

वृक्ष / वृक्षों का विवरण

क्रम सं	प्रकार / नाम	कुल वृक्ष सं
1	Tamerin Tree	01
	Total	01 No.


वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप - संरक्षक
दमण।

o/c

सेवा में,

Shabana N. Dulla,
PoAH of Nasiruddin Dulla,
Varkund,
Nani Daman.

नियम एवं शर्तें

1. श्रेणीय वन अधिकारी द्वारा वृक्ष को चिह्नित करेंगे।
2. आवेदक अपनी जिम्मेदारी में एवं वन विभाग के पर्यवेक्षण में वृक्ष कतरायेंगे। संबन्धित भूमि पर अथवा व्यक्तियों के दावे संबन्धी मामले के बिना यह अनुमति दी जाती है।
3. यह आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वृक्ष कतराने ने का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
4. कतरन गये वृक्ष से प्राप्त उपादान श्रेणीय वन अधिकारी से ट्राजिट पास लेकर स्थल से हटाना होगा।
5. तटीय क्षेत्र विनियम का उल्लंघन करते हुए पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस शर्त पर अनुमति दी जाती है।

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दमण - दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें।
2. वन संरक्षक, दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें।
3. श्रेणीय वन अधिकारी, दमण।
4. संबंधित बिट गाडें, फॉरेस्ट गाडें/ सिपाई।

Received
Tharsh
Pankaj Bhai
Beet Anand

20/5/16 - 20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16

20/5/16